भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3488

उत्तर देने की तारीख 10 अगस्त, 2026

सोमवार, 19 श्रावण, 1948 (शक)

स्थानीय उद्योगों और संस्थाओं में रोज़गार के अवसर

3488. श्री सतपाल ब्रह्मचारी:

श्री जय प्रकाश:

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि हरियाणा में, विशेषकर सोनीपत और हिसार लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में, कौशल विकास योजनाओं के तहत प्रशिक्षित बड़ी संख्या में युवा स्थानीय उद्योगों और संस्थाओं में अपेक्षित रोजगार के अवसर सुरक्षित करने में सक्षम नहीं हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान उक्त निर्वाचन क्षेत्रों में विभिन्न कौशल विकास योजनाओं के तहत प्रशिक्षित, नियोजित युवाओं की संख्या और प्लेसमेंट प्रतिशत का योजना-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या स्थानीय उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुसार कौशल प्रशिक्षण, प्रशिक्षुता और उद्योग-संस्था की भागीदारी को बढ़ावा देने और उक्त निर्वाचन क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा कोई विशेष पहल की गई है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (घ): भारत सरकार के कौशल भारत मिशन (सिम) के अंतर्गत, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) विभिन्न स्कीमों, जैसे कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस), राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन स्कीम (एनएपीएस) के अंतर्गत कौशल विकास केंद्रों के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से और शिल्पकार प्रशिक्षण स्कीम (सीटीएस) के अंतर्गत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के माध्यम से हरियाणा

राज्य में सोनीपत एवं हिसार लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित देश भर के समाज के सभी वर्गों को कौशल, पुनर्कौशल एवं कौशलोन्नयन प्रशिक्षण प्रदान करता है। कौशल भारत मिशन (सिम) का उद्देश्य भारत के युवाओं को भविष्य के लिए तैयार करना और उन्हें उद्योग से संबंधित कौशलों से सुसज्जित करना है।

सरकार, उद्योगों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्लस्टरों, निजी क्षेत्र के नियोक्ताओं तथा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र कौशल मिशनों के साथ घनिष्ठ सहयोग के माध्यम से मांग-आधारित कौशल प्रशिक्षण को बढ़ावा देते हुए, प्रशिक्षण विषय-वस्तु को रोजगार बाजार की वास्तविक समय की मांग के अनुरूप बनाने तथा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) के अंतर्गत रोजगार-योग्यता संबंधी समन्वय को सुदृढ़ करने के लिए प्रतिबद्ध है। अभ्यर्थियों को ऑन-द-जॉब ट्रेनिंग (ओजेटी) के अवसर उपलब्ध कराने के लिए स्थानीय उद्योगों की पहचान करने पर मंत्रालय द्वारा परियोजना प्रस्ताव के चरण से ही विशेष ज़ोर दिया जाता है। पीएमकेवीवाई 4.0 को उद्योग एवं क्षेत्र कौशल परिषदों के परामर्श से मांग-आधारित तरीके से कार्यान्वित किया गया है, ताकि अभ्यर्थियों की रोजगार-योग्यता तथा रोजगार के अवसरों में वृद्धि की जा सके। इसके अंतर्गत किए गए प्रमुख प्रयासों में क्षेत्र-विशिष्ट मांगों एवं चुनौतियों की गहन जानकारी प्राप्त करने के लिए उद्योग परामर्श आयोजित करना, उच्च मांग वाले तथा उभरते/नए युग के कौशल क्षेत्रों की पहचान करना तथा उद्योगों को अवार्डिंग निकाय का दर्जा प्रदान करना शामिल है।

एमएसडीई की योजनाओं में से, पीएमकेवीवाई के 2015-16 से 2021-22 तक लागू किए गए पहले तीन संस्करणों (पीएमकेवीवाई 1.0, पीएमकेवीवाई 2.0 और पीएमकेवीवाई 3.0) के अल्पकालिक प्रशिक्षण घटक के तहत ही प्लेसमेंट को ट्रैक किया गया था। पीएमकेवीवाई (1.0 से 3.0) के तहत, हरियाणा में 1,58,981 उम्मीदवारों को प्लेसमेंट मिलने की सूचना है। पीएमकेवीवाई 4.0 के तहत, प्रशिक्षित उम्मीदवारों को उद्योग से संबंधित कौशल पाठ्यक्रमों जिसमें ऑन-द-जॉब ट्रेनिंग (ओजेटी) भी शामिल है, के माध्यम से मार्गदर्शन देकर उन्हें विभिन्न करियर पथ चुनने के लिए सशक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

वर्ष 2023-24 से 2026-27 (30.06.2026 तक) की अवधि के दौरान हरियाणा के सोनीपत और हिसार लोक सभा निर्वाचन क्षेत्रों में एमएसडीई की प्रमुख कौशल विकास स्कीमों के तहत प्रशिक्षित उम्मीदवारों की संख्या निम्नानुसार है:

लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र	**पीएमकेवीवाई**	**जेएसएस**	**एनएपीएस (नियोजित प्रशिक्षु)**	**सीटीएस/आईटीआई* (नामांकित उम्मीदवार)**
सोनीपत	8,338	1,800	13,670	20,124
हिसार	16,349	-	7,774	28,260

**सत्र 2023 से 2025 तक*

इसके अलावा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रदान किए गए कौशल उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप हों और इस प्रकार रोजगार के अवसरों में सुधार हो, एमएसडीई ने हरियाणा राज्य सहित देश भर में निम्नलिखित विशिष्ट कदम उठाए हैं:

- राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीईटी) की स्थापना तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण (टीवीईटी) क्षेत्र में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए नियम और मानक स्थापित करने वाले एक व्यापक नियामक निकाय के रूप में की गई है। एनसीवीईटी उद्योग निकायों को अवार्डिंग बॉडीज (एबी) और/या मूल्यांकन एजेंसियों (एए) के रूप में मान्यता देता है।
- अवार्डिंग बॉडीज से यह अपेक्षा की जाती है कि वे उद्योग की मांग के अनुसार योग्यताएं विकसित करें और उन्हें राष्ट्रीय व्यवसाय वर्गीकरण, 2015 के अनुसार चिन्हित व्यवसायों के साथ मैप करें तथा उद्योग से मान्यता प्राप्त करें। एनसीवीईटी ने उद्योग की आवश्यकताओं के अनुसार 10209 योग्यताओं को मंजूरी दी है, जिनमें से 2975 योग्यताएं वैध और सक्रिय हैं तथा 7234 योग्यताएं संग्रहीत हैं।
- प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीटी) आईटीआई के छात्रों को वास्तविक औद्योगिक वातावरण में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए उद्योगों के सहयोग से फ्लेक्सी समझौता ज्ञापन स्कीम और प्रशिक्षण की दोहरी प्रणाली (डीएसटी) को लागू कर रहा है।
- राज्य और क्षेत्रीय स्तर पर संस्थानों के लिए उद्योग से जुड़ाव सुनिश्चित करने के लिए डीजीटी ने आईबीएम, माइक्रोसॉफ्ट, ऑटोडेस्क, एडब्ल्यूएस, शेल आदि जैसी आईटी प्रौद्योगिकी कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ये साझेदारियां आधुनिक प्रौद्योगिकियों में तकनीकी और व्यावसायिक कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने में सहायक हैं।
- पीएमकेवीवाई के तहत, नए युग/भविष्य के कौशलों से संबंधित जॉब रोल्स को आगामी बाजार मांग और उद्योग की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए एआई/एमएल, रोबोटिक्स, मेकाट्रॉनिक्स, ड्रोन प्रौद्योगिकी आदि क्षेत्रों में विशेष रूप से उद्योग 4.0 की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार किया गया है।
- डीजीटी ने सीटीएस के तहत नए युग/भविष्य के कौशल पाठ्यक्रम शुरू किए हैं ताकि 5जी नेटवर्क, एआई प्रोग्रामिंग, साइबर सुरक्षा, ड्रोन प्रौद्योगिकी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स आदि जैसे उभरते क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान किया जा सके।
- एमएसडीई ने स्किल इंडिया डिजिटल हब (सिद्ध) शुरू किया है, जो एक एकीकृत मंच है और कौशल विकास, शिक्षा, रोजगार और उद्यमिता इकोसिस्टम को आपस में जोड़कर जीवनभर चलने वाली सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है। स्किल इंडिया डिजिटल हब के माध्यम से, उम्मीदवार कौशल प्रशिक्षण, रोजगार और शिक्षुता के अवसरों तक पहुंच सकते हैं। प्रशिक्षित उम्मीदवारों का विवरण सिद्ध पोर्टल पर उपलब्ध है, जिसके माध्यम से वे संभावित नियोक्ताओं से जुड़ सकते हैं।
- उद्योग के लिए तैयार कार्यबल को उभरते आर्थिक अवसरों के अनुरूप बनाने के उद्देश्य से सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड में अहमदाबाद और मुंबई में दो (02) भारतीय कौशल संस्थान (आईआईएस) स्थापित किए गए हैं।

- संबंधित क्षेत्रों के उद्योग जगत के अग्रणियों के नेतृत्व में 36 क्षेत्रीय कौशल परिषदों (एसएससी) की स्थापना की गई है, जिन्हें संबंधित क्षेत्रों की कौशल विकास आवश्यकताओं की पहचान करने के साथ-साथ कौशल दक्षता मानकों को निर्धारित करने का दायित्व सौंपा गया है।
- रोजगार मेले और प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षुता मेले का आयोजन मंत्रालय द्वारा देश भर में प्रमाणित उम्मीदवारों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए किया गया है।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी), 2020 में व्यावसायिक शिक्षा को मुख्यधारा की शिक्षा के साथ और अधिक एकीकृत करने और अकादमिक एवं व्यावसायिक शिक्षा के बीच सुगम परस्पर परिवर्तन को बढ़ावा देने की परिकल्पना की गई है। इसी दृष्टिकोण के अनुरूप, यूजीसी और एआईसीटीई के सहयोग से विकसित शिक्षुता-आधारित डिग्री कार्यक्रम (एईडीपी) डिग्री और डिप्लोमा कार्यक्रमों में नामांकित छात्रों को उनके पाठ्यक्रम के अभिन्न अंग के रूप में शिक्षुता प्रशिक्षण प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। यह कार्यक्रम रोजगार क्षमता को बढ़ाता है, परिणाम-आधारित शिक्षा को बढ़ावा देता है, उद्योग-अकादमिक संबंधों को मजबूत करता है और उद्योग-संबंधी कौशल प्राप्त करने में सहायता प्रदान करता है।
